न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 32 दिनांकः–6/2/25

निमित्त,

तहसीलदार
निम्बाहेड़ा

विषयः– न्यायालय हाजा के आदेशानुसार पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण 79 / 2024 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 उनवान हीरालाल अंजना बनाम ओमप्रकाश मौजा कदमाली प0ह0 मरजीवी के तहत निर्णय दिंनाक 23/01/2025 को किया गया। अतः निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय अनुसार पालना करें।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 79 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 323

1. हीरालाल पुत्र भगवानलाल जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

– प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास जी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. कैलाश पुत्र रामनिवास जी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. प्रकाश पुत्र रामनिवासजी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. प्रेम पुत्री रामनिवासजी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. सुशीला पुत्री रामनिवास जी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. धनश्याम पुत्र भंवरलालजी आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कमलाबाई पत्नि भंवरलालजी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. नोजीबाई पत्नि कंवरलालजी जाति बंजारा निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
8. भावसिंह पुत्र बालुजी जाति बंजारा निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
9. राधेश्याम पुत्र शंकरजी जाति गुरु निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
10. हीरालाल पुत्र भंवरलालजी जाति गायरी निवासी कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
11. उदयलाल पुत्र भेरुलाल जी जाति आंजना निवासी केसुन्दा तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
12. कुमकुम पुत्री अनिल (रतनलाल) जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ हाल मुकाम बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
13. दीपशिखा पुत्री अनिल (रतनलाल) जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ हाल मुकाम बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
14. हर्षवर्धन उर्फ हक्षित पुत्र अनिल जी जाति आंजना निवासी बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
15. किशनलाल पुत्र भगवानलाल जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
16. भगवती पुत्री भगवानलाल जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
17. मुकेश पुत्र बगदीराम जाति मेघवाल निवासी समरडा तह० छोटीसादडी जिलास प्रतागपढ
18. राधादेवी पत्नि मुकेश जी जाति मेघवाल निवासी समरडा तह० छोटीसादडी जिलास प्रतागपढ
19. अमरसिंह पुत्र भगवानलाल जी जाति आंजना निवासी सुबी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
20. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

...........विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :1– श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता प्रार्थी
2– कृष्णा सुथार – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 11 से 17 व 19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
हीरालाल बनाम ओमप्रकाश
GCMS No- 2024/323
प्रकरण संख्या 79/2024

:: निर्णय ::

दिनांक 23.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन कि वाके मौजा कदमाली पटवार हल्का मरजीवी तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 314 के आराजी नं0 1025 रकबा 11.2:00 हेक्टेयर स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात के मुल आराजी नं0 552 थे जो प्रार्थी के बाप दादा के समय से चली आ रही है। प्रार्थी का अपने बाप दादा के समय से उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा हैं।

3. प्रार्थी को मुल आराजी नं0 552 हेक्टेयर भूमि जिसके नवीन आराजी नं0 1025 रकबा 11.2000 हेक्टेयर होकर जिसके साबिक आराजी नम्बर के टुकडे होकर प्रार्थी के आराजी नं0 1025 के पुराने नम्बर 610/552 पढे तथा विपक्षी नं0 1 से 10 की नवीन आराजी नं0 1024 के पुराने नम्बर 552मीन/1 पढे जो पूराने सेटलमेन्ट के समय राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्षे में तरमीम नही थी प्रार्थी की आराजी नं0 1025 जो की प्रार्थी की अन्य नवीन आराजी नं0 1023 के दक्षिण दिशा में स्थित थी जिस पर प्रार्थी का अन्य सहखातेदारो के साथ संयुक्त रुप से कब्जा चला आरहा है, तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारी काबिज चले आ रहे हैं, राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से प्रार्थी की आराजीयात का नवीन नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम नही किया हैं जहां पर प्रार्थी काबिज हैं उक्त प्रार्थी की आराजीयात की जगह विपक्षीगण नं0 1 से 10 की आराजी नं० 1024 को दर्शा दिया गया हैं

4. प्रार्थी की आराजी के रकबे को भी गलत रुप से नवीन नक्शा ट्रेस में संकरा कर छोटा दर्शा दिया गया हैं, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ हैं, जबकि विपक्षीगण नं0 1 से 10 का कब्जा प्रार्थी की आराजी नं० 1025 के दक्षिण दिशा में चला आ रहा है, तथा उक्त नवीन नक्षा ट्रेस मे अंकन प्रार्थी का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी का व विपक्षी नं० 1 से 10 का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक हैं।

5. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी न. 11 से 17 व 19 की ओर से अधिवक्ता कृष्णा सुथार ने वकालतनामा मय सहमति जवाब पेश किया। विपक्षी नम्बर 1 से 10 व 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:—

- ग्राम कदमाली की आ०नं० 1025 रकबा 11.20 है0 किस्म बीड । खातेदार श्री अमरसिंह पिता भगवानलाल 7/7284 आंजना सा० सुबी, उदयलाल पिता भेरूलाल 8663/9712 आंजना सा. केसुन्दा, उदयलाल आंजना पिता भेरूलाल 1/18 केसुन्दा, कुमकुम पुत्री रतनलाल 1/144 आंजना सा. सुबी, किशनलाल पुत्र भगवानलाल 7/7284 आंजना सा. सुबी, दीपशिखा पुत्री रतनलाल 1/144 आंजना सा. सुबी, भगवती पुत्री भगवानलाल 7/7284 आंजना, मुकेश मेघवाल पिता बगदीराम मेघवाल 1/72 समरड़ा, राधादेवी पत्नी मुकेश मेघवाल 1/72 सेमरड़ा, हक्षित पुत्र अनिल आंजना सा. सुबी 1/144, हीरालाल पुत्र भगवानलाल 7/7284 आंजना सा. सुबी खातेदार के नाम दर्ज है। मौजा कदमाली प०ह० बाड़ी की नकल जमाबन्दी संलग्न है।

- इसी प्रकार प्रार्थना–पत्र में जिस संबंधित आराजी से उक्त आ०नं0 1025 को त्रुटिपूर्ण बताया गया है उसका आ०नं0 1024 रकबा 3.35 है० किस्म बंजड़ 1 खातेदार श्री ओमप्रकाश पिता रामनिवास 13/1325 गुरू सा० देह, कुमकुम बंजारा पत्नी विनोद 13/265 साकरियाखेड़ी, कैलाश पुत्र रामनिवास 13/1325 गुरू सा० देह, कान्ता बाई पत्नी बद्रीलाल बंजारा सा० देह 16/53, धनश्याम पुत्र भगवानलाल संरक्षक सरपस्त माता कमलाबाई वगैराह अनुसार जमाबन्दी संवत् 2077–80 मौजा कदमाली दर्ज रेकार्ड है।
- यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रश्नगत आराजियात के हाल व साबिक आराजी नम्बर मुताबिक मिलना क्षेत्रफल निम्नानुसार है:–

हाल आराजी नम्बर	हैक्टेयर	सा0आ0नं0	रकबा(बीघा)
1024	3.35	552/1 मि.	13 बीघा 5 बिस्वा
1025	11.20	610/552	44 बीघा 6 बिस्वा

- आ०नं0 1024 व 1025 के साबिक मूल आराजी नं0 552 ही है। नवीन राजस्व मानचित्र में आ0नं0 1024 व 1025 दो अलग–अलग आराजियात दर्ज है। जबकि संलग्न पूर्व मानचित्र में आ0नं0 552 मूल आराजी में कोई तरमीम नहीं है। वर्तमान राजस्व मानचित्र का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि आ०नं0 1024 जिसका रकबा 3.35 है०, आ0नं0 1025 जिसका रकबा 11.20 है0 से मानचित्र में बड़ा है व आ०नं0 1025 रकबा 11.20 है०, आ0नं0 1024 रकबा 3.35 है० से छोटा है।
- प्रथम दृष्टया राजस्व मानचित्र का अध्ययन करने पर यह एक प्रकार की लिपिकीय तरमीम भूल जाहिर आती है। अतः ग्राम कदमाली की आराजी नं0 1024 जिसका रकबा 3.35 है० जमाबन्दी में उसका रकबा 11.20 है0 किया जाकर खातेदार अमरसिंह पिता भगवानलाल 7/7284 आंजना वैगराह के नाम दर्ज किया जावें एवं आ०नं0 1025 जिसका रकबा 11.20 है0 के बजाय जमाबन्दी में 3.35 है० दर्ज कर खातेदार श्री ओमप्रकाश गुरु वगैराह के नाम किया जाना उचित है जिससे नक्शा अनुसार रकबा हो जायेगा। अतः मौका अनुसार खातेदारों के नाम भूमि दर्ज की जायेगी। खातेदारान आ०नं0 1024 व 1025 को सुना जाकर उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

8. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

9. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में

खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

10. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम कदमाली पटवार हल्का मरजीवी तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नं0 1025 जिसका रकबा 11.20 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 1024 रकबा 3.35 हैक्टेयर स्थित है जिसके मूल आराजी नं. 552 थे। सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी में आराजी नंबर गलत दर्ज हो गये। आराजी नंबर 1024 का रकबा 3.35 हैक्टेयर व खातेदार ओमप्रकाश वगैराह के नाम पर दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर आराजी नंबर 1024 का रकबा 11.20 हैक्टेयर दर्ज कर खातेदार अमरसिंह वगैराह के नाम दर्ज किया जाना तथा आराजी नंबर 1025 का रकबा वर्तमान में 11.20 हैक्टेयर व खातेदार अमरसिंह वगैराह के नाम दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर आराजी नंबर 1025 का रकबा 3.35 हैक्टेयर कर खातेदार ओमप्रकाश वगैराह के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कदमाली पटवार हल्का मरजीवी तहसील निम्बाहेडा के आराजी नंबर 1024 का रकबा 3.35 हैक्टेयर भूमि के खातेदार ओमप्रकाश वगैराह के बजाय आराजी नंबर 1024 रकबा 11.20 हैक्टेयर खातेदार अमरसिंह वगैराह के नाम दर्ज किये जाने तथा आराजी नंबर 1025 का रकबा वर्तमान में 11.20 हैक्टेयर भूमि को खातेदार अमरसिंह वगैराह के बजाय आराजी नंबर 1025 रकबा 3.35 हैक्टेयर भूमि के समस्त खातेदार ओमप्रकाश वगैराह के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा